

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक.....

संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0...../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-92089 दिनांक 04.12.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री कुमुद रंजन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (बिहार स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, 2009 के सेक्शन-05 के द्वारा आच्छादित डी0ए0 केस को छोड़कर) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायाधीश (निगरानी), भागलपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किये जाने से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-16050 दिनांक 26.11.2019 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि-ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0...../ पटना-15, दिनांक 17.12.2019

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-92089 दिनांक 04.12.2019 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर/श्री कुमुद रंजन सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बाँका/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/2019

सरकार के अवर सचिव।